

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या— प्राथम/परिषद/सम्बद्धता/2019/1133

लखनऊ दिनांक 15-8-2019

—कार्यालय प्रत्येक—

अधिल भारतीय सार्वजनिक शिक्षा परिषद द्वारा संश्लेषित वर्ष 2019-20 हेतु शिक्षण सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद 10000 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2019 को अधिल प्राथमिक शिक्षा परिषद, 10000 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में वर्ष 2019-20 हेतु आवेदित नई संस्थाओं की सम्बद्धता/पूर्ति से सम्बंधित संस्थाओं का सम्बद्धता विचार/पारदर्शन/प्रवेश क्षमता वृद्धि/कमी हेतु वर्ष 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने का निर्णय किया गया।

प्रस्ताव के अनुमोदन में सम्बद्धता समिति की बैठक को 15-8-19 में दिनांक 15-8-19 पर्यन्त सम्पन्न करने वाली नई संस्था एवं प्रस्ताव प्रेषित गये। सम्बद्धता समिति द्वारा गठन विचार-विमर्श एवं निष्पत्ति निर्णय किया गया —

“ समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी सदस्यगणित निम्न दिशानिर्देश सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं को एआईसीटीआईएन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है एवं परिषद की निर्देशन समिति द्वारा निदेशानुसार एआईसीटीआईएन द्वारा अनुमोदित प्राचार्यकर्मियों के अनुसूचि वर्ष 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, जो वर्ष 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि संबंधित संस्थान वर्ष 2019-20 हेतु एआईसीटीआईएन अनुमोदन एवं परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराये। ”

उक्त निष्पत्तिसार संबंधित संस्था को परिषद की निर्देशन समिति एवं विचार-विमर्श द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा किये गये निर्णय के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद 10000 लखनऊ द्वारा वर्ष 2019-20 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत पारदर्शन एवं प्रवेश क्षमता वृद्धि हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है —

क्र. सं.	संस्था का नाम	सम्बद्धता का नाम	कार्यक्रम का नाम	एआईसीटीआईएन/एआईसीटीआईएन द्वारा प्राप्त अनुमोदन प्राप्त संस्था	वर्ष 2019-20 में अनुमोदित संस्था
1.	काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, एचएलए-23, काशी-221005, कानपुर, उत्तर प्रदेश	विश्व वृद्धि	इंजीनियरिंग वृद्धि	80	80
			विश्वविद्यालय वृद्धि	80	80
			विश्वविद्यालय वृद्धि	80	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एआईसीटीआईएन द्वारा निर्देशित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद दिनांक 15-8-19 तथा अन्य निर्देशन निर्णयों एवं आवेदनों का अनुपालन करेगी तथा मुख्य निर्देशन समिति द्वारा निर्देशित मुख्य शेष शेष वृद्धि प्रस्तावों हेतु ~~अनुमोदन~~ - प्रवेश, के अन्तर्गत सार्वजनिक शिक्षण संस्था ~~अनुमोदन~~ - प्रवेश एवं एन एन सी प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं को प्राथमिक शैक्षणिक पारदर्शन के अन्तर्गत हेतु एन-22,000,000 अन्तर्गत मुख्य ही प्रवेश प्राप्त/प्राप्त से प्राप्त किया जाएगा। प्रवेश के अन्तर्गत प्राप्त/प्राप्तों से मुख्य की संख्या में प्रवेश-समय पर सामान द्वारा निर्णय किये जाने वाले सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं को, और पर्यवेक्षण अधिकाधिक शिक्षा प्राप्त कराने का होगा। जोस निर्देशन

निम्नलिखित बातें यदि सच 2018-20 हेतु भीत का पुनर्विचार किया जाता है, तो भीत की नवीनीकरण की जानू होगी।

- ✓ संस्था को 20180-20 वार्षिक विद्या समितीकी तथा उप समितीकी, कार्यवाही को सम्बद्ध किया जाना/ विनियमनकी-2009 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आदर्शित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। शीटों के भिन्न का जाने की शिर्षी में प्रस्ताव प्रस्तुत करना के निर्दिष्टनुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर विद्या समितीका के अनुसार विविध एवं सम्बद्धता सुझा बना करना होगा।
- ✓ संस्था को एडमिनिस्ट्रेशन से सम्बन्धी सच हेतु अनुसंधान प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश परीक्षा द्वारा बनये गये विधि/विधान/अधिनियम/सामान्यनी/निर्देशों एवं विदेशी, वार्षिक विद्या, एडमि. समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, एडमि. तथा वार्षिक विद्या परिषद, एडमि. द्वारा बनाये गये विधान, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने को शिर्षी बना होगी।
- ✓ विदेशीय इन मामलों पर अनुसंधान की संस्था यदि किसी अन्य, नई शिर्षी से अनुसंधान प्राप्त करने में असमर्थ होती है तो इस संबंध में संस्था वास्तवस्थित संस्था का होना और विधिक रूप से किसी की कार्यवाही के लिए संस्था तथा संस्थावाही होगी। वार्षिक विद्या परिषद, समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, वार्षिक विद्या विदेशीय एवं वार्षिक विद्या विधान द्वारा प्रवेश परीक्षा परीक्षा को कोई एक चरण दिया जाता है तथा प्रत्येक चरण के संस्था में का सम्बद्धता द्वारा किसी प्रकार की अधिकुली शर्तों प्रवेश विद्या किया जाता है तो संस्था अधिकुली संशोधन संस्था की करनी होगी।
- ✓ विदेशीय इन मामलों पर अनुसंधान सम्बन्धित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रवेश परीक्षा आवश्यक द्वारा प्रवेश एवं के लिए आदर्शित प्रवेश परीक्षा हेतु सम्बन्धित प्रवेश होने को पूर्ण विनियमन/विधि से अनुसंधान प्राप्त कर परिषद काशीतता को प्रत्येक संस्था होगा अन्यथा कोई प्रवेश की (स्वयम्परीक्षा के सम्बद्ध से अपना संस्था स्तर पर शीर्षी प्रवेश) अनुसंधान गयी प्रदान की जायेगी।
- ✓ प्रवेश परीक्षा संस्था द्वारा प्रवेश हेतु विद्या नवीनीकरण आधुनिक विधानों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की संस्था सुझाव प्रवेश संस्था की वार्षिक वार्षिक, एडमि., समय-समय, एडमि., प्राप्त किया जाने एडमि. सुझा, सम्बद्धता सुझा अदि का विचार प्रस्ताव बनाना होगा।
- ✓ संस्था की विधान-विधान हेतु उपर्युक्त आवश्यक प्रस्ताव बनाने को साथ विद्या प्रवेश को सम्बद्ध में संस्था आवश्यक प्रवेश सुझावित बनये होगी।
- ✓ संस्था का सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/सम्बन्धित अनुसंधान को प्रदान करने हेतु विद्यमान शिर्षी के संस्था प्रस्ताव करने पर अधिकतम, मुने-समय, कार्यवा, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य अनुसंधान के संस्था में प्रदान किया जाता है और परिषद को इसकी आवश्यकता होती है कि संस्था प्रवेश का प्रयोग किसी अन्य चरण के लिए कर गयी है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता संस्था विधान करने की अनुसंधान की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किन्हे जाने अथवा शर्तों का प्रस्तावित किन्हे जाने की शिर्षी में विनियमना अनुसंधान/संस्था कार्यवाही की जायेगी।

(समीर कुमार मिश्र)
सचिव

पृष्ठ- अधिन/परिषद सम्बद्धता/2018/1130-2018

तार दिनांक- 15-5-2018

संस्थानि- अकाधकारी/निदेशक, आशी इंस्टीट ऑफ टेक्नोलॉजी, एचएचसी-21, उत्तरवन्शी-इलाहाबाद जिल्हा, गोरखपुर, उत्तरवन्शी।

(समीर कुमार मिश्र)
सचिव

**आर्डीएम,
राजिव, प्रतियोगिता विद्या परिषद,
उत्तर प्रदेश सरकार।**

संख्या- राजिव/परिषद/सम्बद्धता/2020/1871

तारीख: दिनांक: 18-8-2020

2-कार्यालय कार्य-

प्रतिष्ठान भारतीय राजकीय विद्या परिषद, नई दिल्ली / जर्मनी कार्यालय बीच इन्टरमिडियेट, नई दिल्ली द्वारा विगत वर्ष 2020-21 हेतु विद्यार्थी भारतीय राजकीय विद्या संस्थाओं को अनुसूचित प्रदान किए जाने के प्रस्ताव प्रतियोगिता विद्या परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को उत्तर, प्रतियोगिता विद्या परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार को सम्बद्धता से संबंधित कार्यालय में बैठक संलग्न हुई। बैठक में सचिव द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु जर्मनी नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संबंधित संस्थाओं को सम्बद्धता विचार/सम्बद्धता/प्रस्ताव संस्था प्रति सचिव जमा नहीं या विचार नहीं हुए वर्ष 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान करने जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता सचिव को बैठक के मा-13 में विद्यार्थी इन जर्मनी सम्बद्धता संस्थाओं को जारी पूर्व में सम्बद्धता संस्थाओं का प्रस्ताव जमा गया। सम्बद्धता सचिव द्वारा प्राप्त विचार-विचार का निम्नलिखित निर्णय लिया गया -

परिषद से पूर्व से सम्बद्धता विद्यार्थी बीच की संस्थाएं विचारों द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु संस्था में संबंधित पूर्व सम्बद्धता में सचिव सम्बद्धता की प्रस्ताव संस्था में स्वीकृति करने जाने का अनुसूचित किया गया है, जो वर्ष 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में सचिव द्वारा विचार-विचार किया गया एवं वर्ष 2020-21 हेतु सम्बद्धता/पूर्व से संबंधित संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करने के अनुक्रम में परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को उत्तर सम्बद्धता सचिव को बैठक में लिये गये प्रस्ताव निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्रतियोगिता विद्या परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान करने अर्थात् प्रस्ताव संस्था हेतु सम्बद्धता विचार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	सम्बद्धता/पूर्व से अनुसूचित बीच संस्था	सम्बद्धता/पूर्व से अनुसूचित बीच संस्था
1	राजीव राजकीय विद्या परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश, भारत।	राजीव राजकीय विद्या परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश, भारत।	राजीव राजकीय विद्या परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश, भारत।	राजीव राजकीय विद्या परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश, भारत।

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था सम्बद्धता/पूर्व से अनुसूचित बीच विद्यार्थी को जारी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्रतियोगिता विद्या परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश प्रतियोगिता विद्या परिषद विद्यार्थियों को 1871, विद्यार्थी विद्यार्थियों-2018 तथा अन्य निर्मित विद्यार्थी एवं जर्मनी का अनुसूचित करेगी तथा सुलभ विद्यार्थी सचिवों द्वारा निर्मित सुलभ बीच सचिव द्वारा सम्बद्धता हेतु मा 20,100.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों भारतीय सम्बद्धता हेतु मा 40,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष दो वर्षों सम्बद्धता (दो वर्षों भारतीय सम्बद्धता के अतिरिक्त) हेतु मा 22,500.00 प्रतिवर्ष सुलभ ही प्रतियोगिता/प्रस्ताव से प्राप्त किया जायेगा; प्रस्ताव के अतिरिक्त प्राप्त/संस्थाओं से सुलभ से सम्बद्धता में प्राप्त-सुलभ या साधन द्वारा निर्मित किये जाने वाले साधनों/संस्थाओं द्वारा, और सम्बद्धता कार्यालयों द्वारा प्राप्त आसक्तिक होगा। बीच विद्यार्थी सचिवों द्वारा जारी वर्ष 2020-21 हेतु बीच का अनुसूचित विद्या परिषद है, जो बीच की सचिवों से जारी करेगी।
- ✓ संस्था को उत्तर प्रदेश प्रतियोगिता विद्या परिषदों तथा उन सचिवों, संस्थाओं को सम्बद्धता विद्या परिषद विद्यार्थियों-2020 की शर्तों का अनुसूचित करना होगा।
- ✓ संस्था में सम्बद्धता प्रस्ताव विद्या परिषद द्वारा निर्मित जर्मनी-को ही प्रतियोगिता जायेगा; शर्तों के विद्या परिषद जाने की शर्तों में उत्तर प्रदेश सरकार से निर्मित/सुलभ ही प्रस्ताव की जर्मनी की जायेगी।
- ✓ संस्था को उत्तर-सुलभ का निर्मित साधनों के अनुसूचित निर्माण एवं सम्बद्धता सुलभ जमा करना होगा।

(Handwritten Signature)

- ✓ संस्था की एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर्स/चैरमैन/मैजिस्ट्रेट से जलानी काग हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाया आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रदेस शासन द्वारा कराये गये डिप्लो/मिटर/प्रतिवेदन/आवतारिका/मिटरों एवं विदेशिक, प्रतिविश्व शिक्षा, प्रख्यात, संयुक्त प्रदेस पब्लिक एजिगर, प्रख्यात तथा प्रतिविश्व शिक्षा एजिगर, प्रख्यात द्वारा कराये गये मिटरों, डिप्लोमों, आवतारों, मिटरों का प्रालन करने के विधे सख्य होगी।
- ✓ विदेशिक एवं फार्मली एग्जिक्यूटिव की संस्थाएं यदि वेरीली/एडु, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमथ होती हैं तो इस सख्य में समथत आरक्षकवित्त संस्था का होगा और विदेशिक सख्य से किसी भी आवतारों के लिए संस्था सख्य आवतारों होगी। प्रतिविश्व शिक्षा एजिगर, संयुक्त प्रदेस पब्लिक एजिगर, प्रतिविश्व शिक्षा मिटरालय एवं प्रतिविश्व शिक्षा विभाग प्रालन प्रदेस शासन को कोई सख्य सख्य किया जाता है तथा प्रालन सख्य से संस्था में स, प्रख्यात द्वारा किसी प्रालन की प्रीतिवी सखी आवतार मिटर किया जाता है जो समथत प्रीतिवी सखी संस्था को करावी होगी।
- ✓ विदेशिक एवं फार्मली एग्जिक्यूटिव संस्थाएं करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रदेस पब्लिक एजिगर, प्रालन प्रदेस शासन द्वारा प्रदेस सख्य के लिए आवतारिक प्रदेस पब्लिक हेतु आवतारिक प्राप्त होने के पूर्व वेरीली/एडु से अनुमोदन प्राप्त का एजिगर आवतारिक को आवतारिक सख्य होगी संस्था को प्रदेस की (आवतारिक के प्रालन से आवतारिक संस्था सख्य का सखी प्रदेस) अनुमति नहीं प्रालन की जावेगी।
- ✓ प्रालन प्रदेस सख्यार द्वारा प्रदेस हेतु निर्गत सखीसख्य आवतारिक मिटरों का अनुमोदन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को जलानी वेरीली/एडु पर संस्था की समथत सुख्यों जैसे संस्था की प्रतिविश्व सुखियुनि, सख्य, सख्य-सख्य, प्रालन, प्रालन किया जाने सख्य सुख्य, आवतारिक सुख्य आदि का विवरण आवश्यक कराया होगा।
- ✓ संस्था को विवरण-प्रतिविश्व हेतु प्रतीक प्रालन प्रालन करने के सख्य विधि रोखने के सख्य में समथत आवतारिक सख्य सुखियुनि करावी होगी।
- ✓ संस्था का सुखियुनि ही से कि संस्था में प्रालन/सखीसख्य एग्जिक्यूटिव को कराये जाने हेतु विवरण सखीसखी के सख्य आवतारिक कराये गये प्रतिवेदन, सुखी-सख्य, सखीसख्य, आवतारिक प्रालन का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य एग्जिक्यूटिव से संस्था में प्रदेस किया जाता है और एजिगर को इसकी आवतारों होगी है कि संस्था प्रतीक का प्रदेस किसी अन्य सख्य के लिए कर नहीं है तो संस्था संस्था की सख्यार सख्यार किसे जाने की अनुमोदन की जावेगी।
- ✓ सख्यार सखी का अनुमोदन न किसे जाने सख्य सखी का प्रालन किसे जाने की किसी से विवरणुसख्य एग्जिक्यूटिविक आवतारिक की जावेगी।

(सख्य आवतारिक मिटर)
सखी

सुखी- सखी/एजिगर सख्यार/2020/ 1073-1111

सुखियुनि 10-08-2020

प्रतिविश्व-आवतारिक/मिटर, सखी वेरीली/एडु और वेरीली/एडु, एग्जिक्यूटिव 22 सखी-प्रालन सखी, मिटरालय सखी।

(सख्य आवतारिक मिटर)
सखी

